Seventeenth Loksabha

an>

Title: Election of 02 Members from Lok Sabha to Tea Board.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to move the following:-

> "That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of Section 4 of the Tea Act, 1953, read with rule 4(1)(b) of the Tea Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Tea Board subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

> "कि चाय निगम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)